(172)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2018/000057

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर एवं पीठासीन अधिकारी, राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट– ......नाथवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गीतादेवी **बनाम** सरकार

किस्म मुकदमा – 136 एलआरएक्ट

नम्बर मुकदमा – 209 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/5/18	आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट, ...नाथवाना में प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मुरतीब की गई । दर्ज रजिस्टर की जावे । प्रार्थना पत्र वास्ते जॉच रिपोर्ट तहसीलदार (राजस्व), लूनकरनसर को भिजवाया गया । तहसीलदार, लूनकरनसर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली रहे । प्रकरण से संबंधित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ~~ग्राम~~/चक......249-200 R.D सम्वत् 2071-2074 के खाता संख्या 10 में ......कौम बैरागी सकुनत नाथवाना दर्ज चला आ रहा है, जिसे प्रार्थी/प्रार्थीगण जरिये दुरूस्ती कौम - स्वामी व सकुनत - सहजरासर .... शुद्ध करवाना चाहता है । तहसीलदार, लूनकरनसर ने अपनी रिपोर्ट में वांछित दुरूस्ती किये जाने की अनुशंषा की है । तहसीलदार, लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वांछित दुरूस्ती की जानी लोक अदालत की भावना से हम न्यायोचित समझते हैं । फलस्वरूप राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत रोही मौजा ~~ग्राम~~/चक......249-200 R.D. की जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के खाता संख्या 910 में दर्ज कौम बैरागी सकुनत नाथवाना के स्थान पर कौम स्वामी सकुनत सहजरासर दुरूस्त करने की आज्ञा प्रदान की जाती है । तहसीलदार, लूनकरनसर को दुरूस्ती आदेश पृथक से पालनार्थ जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । सदस्य राजस्व लोक अदालत — सदस्य राजस्व लोक अदालत — पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर 31/5/18 उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

Scanned by CamScanner